उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग-1
संख्या-53/1490/एक-1-2015-5(20)/2015
लखनऊ: दिनाँक: 08 सितम्बर 2015

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 1951) की धारा 117 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके एवं शासनादेश संख्या- प्र0स0-474/एक-1/2008-5-1(48)/2008-78 दिनाँक 19-12-2008 में दिये गये निर्देशों/शर्तो के अधीन एवं इस सीमा तक और सरकारी आदेश संख्या-68/तीन-2(6)/1979-राजस्व-1 दिनाँक 01 जुलाई 1983 का आंशिक उपान्तर करके श्री राज्यपाल महोदय द्वारा नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित भूमि जो कि पूर्व में आदेश संख्या-68/3-2(6)/1979-रा0-1 दिनाँक 05 सितम्बर 1986 द्वारा यथा संशोधित उक्त आदेश द्वारा इस अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित गाँव सभा में निहित की गई थी पुनर्ग्रहण करते हुए नवसृजित तहसील ऊन के अनावासीय/आवासीय भवनों के निर्माण हेतु जिलाधिकारी, शामली के निवर्तन पर रखते है।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गॉव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे0 में)	विवरण/प्रयोजन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	शामली	ऊन	झिंझाना	ऊन	1205	0.703	जिलाधिकारी, शामली के निवर्तन पर नवसृजित तहसील ऊन के अनावासीय/आवासीय भवनों के निर्माण हेतु
2					983	0.553	
3					984 म	0.154	
4					984 म	0.430	
				योग	**कुल 04 गाटा**	**1.840 हे0**	

आज्ञा से

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

संख्या-1490 (1)/एक-1-2015-5(20)/2015 तद् दिनाँक।

प्रतिलिपि जिलाधिकारी शामली को उनके पत्र संख्या-2273/डी0एल0आर0सी0/2015-16, दिनाँक 27.08.2015 के सन्दर्भ में इस आशय के साथ प्रेषित कि वह इस आदेश की प्रतियॉ कलेक्टर न्यायालय के सूचना पट पर तहसील भवन तथा सम्बन्धित ग्राम में किसी सहज दृश्य स्थान पर चस्पा करायें तथा

shasnadesh.up.nic.in

प्रत्येक स्थान पर उक्त आदेश के चस्पा होने की तिथि अंकित करते हुए अनुपालन आख्या राजस्व विभाग उत्तर प्रदेश शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2. ग्राम सभा की कुल भूमि 04 गाटा रकबा 1.840 हे0 का पुनर्ग्रहण नि:शुल्क किया जा रहा है। प्रश्नगत भूमि जिलाधिकारी, शामली के निवर्तन पर रखी जा रही है।

3. नवसृजित तहसील ऊन के अनावासीय/आवासीय भवनों के निर्माण के व्यापक जनहित को दृष्टिगत रखते हुए सार्वजनिक उपयोग की भूमि यथा-कोल्हू रसपेल एवं खलिहान की भूमि का पुनर्ग्रहण इस शर्त के अधीन किया जाना प्रस्तावित है कि उक्त भूमि की वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। शासनादेश संख्या-963/एक-1-2004-1-1(10)/2002-15-रा0-1, दिनॉक 30.06.2004 के अनुसार सार्वजनिक उपयोग की भूमि की वैकल्पिक व्यवस्था की जायेगी। उक्त सभी शर्तो एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन जिलाधिकारी शामली द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

4. जिलाधिकारी द्वारा शासनादेश संख्या प्र0स0-474/एक-1-2008-5-1(48)/2008-78, दिनॉक 19.12.2008 में दिये गये निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन कराया जायेगा तथा निर्धारित प्रारूप पर यथा निर्देश पुनर्ग्रहण की सूचना भी उपलब्ध करायी जाय।

आज्ञा से

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

संख्या-1490(2)/एक-1-2015-5(20)/2015 तद् दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. आयुक्त सहारनपुर मण्डल सहारनपुर ।
3.. राजस्व अनुभाग-5
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(मनिराम सिंह)
उप सचिव।

shasnadesh.up.nic.in